

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या: 436/2022 दायर दिनांक 18.11.2022

- | वादी | प्रतिवादीगण |
|--|--|
| 1. मुंशी खां पुत्र रहमान खां उम्र 52 वर्ष जाति देशवाली निवासी कचरास, तहसील जायल जिला नागौर राज0। | 1. हुसैन खां पुत्र रहमान खां उम्र 50 वर्ष
2. कमरदीन पुत्र रहमान खां उम्र 48 वर्ष जातिगण देशवाली निवासीगण कचरास तहसील जायल जिला नागौर राज0
3. ओम प्रकाश पुत्र रामकुंवार उम्र 72 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
4. आसी बेगम पत्नि जलाल उम्र 40 वर्ष जाति देशवाली निवासी खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज
5. रामचन्द्र पुत्र पन्नालाल उम्र 84 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी खुनखुना स्टेशन तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
6. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा खुनखुना
7. तहसीलदार डीडवाना। |
| बनाम् | |

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

- श्री सुरेन्द्रपुरी वकील वादी।
- श्री मुस्ताक खां वकील प्रति0 01, 02, 04, 05 की ओर से

--: अंतिम निर्णय :-

दिनांक 23.01.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है वाकै सरहद खुनखुना स्टेशन, पटवार हल्का खुनखुना में खेत खसरा सं0 624 रकबा 0.4200 हैक्टे0 बारानी 2, खसरा सं0 724 रकबा 1.9600 हैक्टे0 बारानी 2, खसरा सं0 624/902 रकबा 0.3300 हैक्टे0 बारानी 2, खसरा सं0 723 रकबा 3.6700 हैक्टे0 बारानी 2, खसरा सं0 713/908 रकबा 1.6200 हैक्टे0 बारानी 2 की भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 5 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 19.01.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 524 दिनांक 09.10.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 524 दिनांक 09.10.2024 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना




--: आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद खुनखुना स्टेशन, पटवार हल्का खुनखुना में खेत खसरा सं० 624 रकबा 0.4200 हैक्टे०, खसरा सं० 724 रकबा 1.9600 हैक्टे०, खसरा सं० 624/902 रकबा 0.3300 हैक्टे०, खसरा सं० 723 रकबा 3.6700 हैक्टे०, खसरा सं० 713/908 रकबा 1.6200 हैक्टे० की भूमि का वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 5 के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 524 दिनांक 09.10.2024 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 524 दिनांक 09.10.2024 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।


 (विक्रम सिंह अर्दी R.A.S.)
 उपखण्ड अधिकारी
 डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।


 (विक्रम सिंह अर्दी R.A.S.)
 उपखण्ड अधिकारी
 डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
बइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 436/2022

दायर दिनांक 18.11.2022

वादी

1. मुंशी खां पुत्र रहमान खां उम्र 52 वर्ष जाति देशवाली निवासी कचरास, तहसील जायल जिला नागौर राज0।

प्रतिवादीगण

1. हुसैन खां पुत्र रहमान खां उम्र 50 वर्ष
2. कमरदीन पुत्र रहमान खां उम्र 48 वर्ष जातिगण देशवाली निवासीगण कचरास तहसील जायल जिला नागौर राज0
3. ओम प्रकाश पुत्र रामकुवार उम्र 72 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
4. आसी बेगम पत्नि जलाल उम्र 40 वर्ष जाति देशवाली निवासी खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज
5. रामचन्द्र पुत्र पन्नालाल उम्र 84 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी खुनखुना स्टेशन तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
6. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा खुनखुना
7. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 23.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री सुरेन्द्रपुरी वकील वादी व श्री मुस्ताक खां वकील प्रति0 01, 02, 04, 05 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद खुनखुना स्टेशन, पटवार हल्का खुनखुना में खेत खसरा सं0 624 रकबा 0.4200 हैक्टे0, खसरा सं0 724 रकबा 1.9600 हैक्टे0, खसरा सं0 624/902 रकबा 0.3300 हैक्टे0, खसरा सं0 723 रकबा 3.6700 हैक्टे0, खसरा सं0 713/908 रकबा 1.6200 हैक्टे0 की भूमि का वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 524 दिनांक 09.10.2024 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 524 दिनांक 09.10.2024 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखा व मुहर अदालत के आज की तारीख 23.01.2025 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Wras
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिफ	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिफ		
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Wlas
प्रमाणित अधिकारी
डी.डी.वा.ना
डी.डी.वा.ना